ग्राम पंचायत मोमन्यार, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2013 से 3/2016

भाग–एक

1. (क) प्रस्तावना :–

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत मोमन्यार विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण काय, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे।

प्रधान :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्रीमति रमना कुमारी	1.4.2013 से 19.9.2014
2.	श्री हुसैन सिंह (उप प्रधान)	20.9.2014 से 10.12.2014
3.	श्रीमति माया देवी	11.12.2014 से 22.1.2016
4.	श्री जसपाल सिंह	23.1.2016 से अद्यतन

सचिव :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री संजीव कुमार	1.4.2013 से 31.1.2014
2.	श्री सदीक मुहम्मद	1.2.2014 से 31.3.2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत मोमन्यार के लेखाओं अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1.	5	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.45

2.	9	अनुदानों को उपयोग न करना	9.14
3.	10	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/सामान का क्रय करना	4.76
4.	11(क)	पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय किए गए सामान को स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज न करना	5.75
5.	11(ख)	पंचायत द्वारा क्रय किए गए स्थाई एवं अस्थाई सामान एलोवेरा पैधों व बकरियों की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियां व जारी/वितरण प्रविष्टियां दर्ज न करना	1.81

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत मोमन्यार, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 26.7.2016 से 29.7.2016 तक पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमश माह : 12/13, 2/15, 8/15 व 3/14, 6/14, 7/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत मोमन्यार, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 226, दिनांक 29.7.2016 द्वारा ग्राम पंचायत मोमन्यार से अनुरोध किया गया। ग्राम पंचायत मोमन्यार द्वारा के0सी0सी0बी0 बंगाणा के बैंक ड्राफ्ट

संख्या : 0201881, दिनांक 29.7.2016 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को प्रेषित किया है।

4. वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत मोमन्यार द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी।

(क) स्वः स्त्रोत :–

ग्राम पंचायत मोमन्यार के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 स्वयंः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	190236.60	192950.40	383187	42734	340453
2014–15	340453	137907	478360	47836	430524
2015–16	430524	207426	637950	64444	573506

(ख) अनुदान :–

ग्राम पंचायत मोमन्यार के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–'1'** में भी दिया गया है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	2275086.90	5592466	7867552.90	5346978.90	2520574
2014–15	2520574	4214687	6735261	5569399	1165862
2015–16	1165862	4040925	5206787	4292914	913873

4.1 बैंक समाधान विवरणी :–

जांच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत मोमन्यार द्वारा मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15(1) के अनुसार पंचायत द्वारा मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार करनी अनिवार्य है। अतः मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व प्रत्येक माह मासिक आधार बैंक समाधान विवरण तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए।

(i) दिनांक 31.3.2016 को पैरा 4(क) के अनुसार स्वः स्त्रोत का अन्तशेष = 573506
(ii) दिनांक 31.3.2016 को पैरा 4(ख) के अनुसार अन्तशेष = 913873

कुल योग ₹1487379

अन्तशेष का विवरण :–

क्र0 सं0	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1.	के0सी0सी0बी0 बंगाणा	20034083456	65091
2.	के0सी0सी0बी0 बंगाणा	20034071097	44787
3.	के0सी0सी0बी0 बंगाणा	20034056206	635459
4.	पी0एन0बी0 खुरवाईं	2661000100042004	3573
5.	पी0एन0बी0 खुरवाईं	2661000100061081	1360
6.	पी0एन0बी0 खुरवाईं	2661000100037057	0
7.	पी0एन0बी0 खुरवाईं	2661000100042013	41300
8.	के0सी0सी0बी0 बंगाणा	20034024194	695404
9.	हस्तगत रोकड़ (खाता–ख)		370
10.	हस्तगत रोकड़ (खाता–क)		35
		कुल योग	₹1487379

5. पंचायत राजस्व ₹0.45 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :–

पंचायत सचिव मोमन्यार द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत राजस्व ₹45130 वसूली हेतु शेष थी।

(क) गृहकर :–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	58890	16200	75090	68400	6690
2014–15	6690	18020	24710	शून्य	24710
2015–16	24710	18020	42730	शून्य	42730

(ख) हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार फार्म–10 पर पंचायत के गृहकर का मांग और एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार किया जाना अपेक्षित था। पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के अन्तर्गत गृहकर का मांग एवं एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया। अतः गृहकर का मांग एवं एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में निमयानुसार अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) दुकानों से किराया :–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	11200	10600	21800	21800	शून्य
2014–15	शून्य	13800	13800	13800	शून्य
2015–16	शून्य	13800	13800	11400	2400

अतः गृहकर व दुकानों के किराये की क्रमश : ₹42730 व ₹2400 कुल ₹45130 के राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

6. ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थापित मोबाइल टावर कम्पनी से संस्थापन प्रभार व वार्षिक नवीनीकरण शुल्क की वसूली न करने बारे :–

सचिव ग्राम पंचायत मोमन्यार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत मोमन्यार की परिधि में एक टावर रिलायंस कम्पनी का स्थापित है, लेकिन उक्त कम्पनी से संस्थापन शुल्क व वार्षिक नवीनीकरण शुल्क की वसूली नहीं की गई है, जबकि विशेष सचिव पंचायती राज हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या : पी0सी0एच0–एच0ए0(2)8/99, दिनांक 9 नवम्बर, 2006 के अनुसार संस्थापन प्रभार ₹4000 व ₹2000 वार्षिक नवीनीकरण शुल्क की वसूली अपेक्षित थी। अतः उक्त कम्पनी से संस्थापन प्रभार व वार्षिक नवीनीकरण शुल्क की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व संस्था स्तर पर गणना करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बन्धित कम्पनी से की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवया जाए। भविष्य में वार्षिक नवीनीकरण शुल्क प्रति वर्ष एकत्र किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7. खाता (ख) के ब्याज ₹1.77 लाख को खाता (क) में अन्तरित न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रति वर्ष, मास : जनवरी तथा जुलाई में पचायत द्वारा खाता 'ख' से अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता 'क' में अन्तरित किया जाना अपेक्षित था, परन्तु ग्राम पंचायत मोमन्यार के खातों की जांच करने पर पाया गया कि उक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है व निम्नानुसार अनुदानों पर प्राप्त ब्याज राशि को स्वयं संसाधनों के खाता 'क' में ₹176811 को अन्तरित नहीं किया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व तुरन्त प्रभाव से खाता 'ख' के बैंक खातों में अर्जित ब्याज को 'क' में आन्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्र0 सं0	शीर्ष/का नाम	वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2014–15	वित्तीय वर्ष 2015–16	कुल योग
1.	आई0डब्ल्यू0एम0पी0–III अंशदान	349	1066	1608	3023
2.	आई0डब्ल्यू0एम0पी0–III	12259	3855	1215	17327
3.	मनरेगा	3677	555	–	4232
4.	योजना	42702	58836	50691	152229
	कुल योग	**₹58985**	**₹64312**	**₹53514**	**₹176811**

(ख) जांच के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक आई0डब्ल्यू0एम0पी0–III से 15280, मनरेगा से 1617 व योजना/सामान्य निधि से 5000 कुल ₹21897 अर्जित ब्याज को खण्ड विकास अधिकारी बंगाणा को हस्तांतरित किया गया दर्शाया है, जोकि हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) की स्पष्ट अवहेलना है। अतः नियमों के विपरीत ₹21897 को खण्ड विकास अधिकारी बंगाणा को हस्तांतरित करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में उक्त प्रकार की अनियमितता न दोहराई जाए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार सभी अनुदानों पर अर्जित ब्याज को वर्ष समाप्ति उपरान्त सभा निधि खाता 'क' में हस्तांतरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8. बजट प्राक्कलन तैयार न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9. अनुदान ₹9.14 लाख का उपयोग न करना :–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट–'1'** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹913873 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के

दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

10. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹4.76 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–'2'** ('i' से 'iii') में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹475786 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11. (क) पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय किए गए ₹5.75 लाख के सामान को स्टॉक/स्टोर रजिस्टर में दर्ज न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 70 के अनुसार क्रय/जारी किए गए सामान की प्रविष्टियां स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों में की जानी अपेक्षित थी। अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि परिशिष्ट–3 ('i' से 'iii') में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹575053 का स्टॉक/स्टोर क्रय किया गया, लेकिन उक्त सामान की स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों में प्राप्ति प्रविष्टियां नहीं की गई। अतः अपेक्षित अभिलेख तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अभिलेख पूर्ण कर आगामी अंकेक्षण में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) क्रय किए गए ₹1.81 लाख के अस्थाई सामान, औषधियों एलोवेरा पौधों व बकरियों की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियां व जारी करने/वितरण से सम्बन्धित प्रविष्टियां दर्ज न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 70 के अनुसार क्रय व जारी किए गए सामान की प्रविष्टियां स्टॉक रजिस्टरों में की जानी अपेक्षित थी। अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के दोरान व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट–4** ('i' व 'ii') पर दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹180730 का स्थाई एवं

अस्थाई सामान, औषधियों पौधों व बकरियों का क्रय किया गया, लेकिन उक्त क्रय की गई मदों की स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति व जारी/वितरण की प्रविष्टियां दर्ज नहीं की गई। अतः अपेक्षित अभिलेख तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अभिलेख पूर्ण कर आगामी अंकेक्षण में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12. ₹504 का अधिक एवं गलत भुगतान :–

(क) ₹329 का अधिक एवं गलत भुगतान :–

वाउचर संख्या : 37, दिनांक 18.6.2014 के अन्तर्गत मैसर्ज जी0एस0 टेड्रिंग कम्पनी जोल को ₹28008 का भुगतान निम्नलिखित सामान क्रय करने पर किया गया है।

सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य (₹)
टोर स्टील 12 एम0एम0	110 कि0ग्रा0	4600 (प्रति क्विंटल)	5060
टोर स्टील 10 एम0एम0	248 कि0ग्रा0	4750 (प्रति क्विंटल)	11780
टोर स्टील 8 एम0एम0	89.300 कि0ग्रा0	4900 (प्रति क्विंटल)	4375.70 भुगतान=4420
टोर स्टील 16 एम0एम0	96.600 कि0ग्रा0	4750 (प्रति क्विंटल)	4588.50 भुगतान=4683
तार	6 कि0ग्रा0	65	390
		योग	**26194.20**
		वैट 5%	**1309.71**
		मजदूरी	**175.00**
		कुल योग	**₹27678.91**
		दर्शाया गया भुगतान	**28008.00**
		अधिक एवं गलत भुगतान	**329.09**

उक्त व्यय वाउचर की जांच करने पर पाया गया कि गणना में त्रुटि के कारण वास्तविक योग से अधिक योग दर्शाकर उक्त फर्म को ₹329 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है। अतः उक्त अधिक एवं गलत भुगतान की गई ₹329 की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) श्री तेजा राम, पंचायत सदस्य को ₹175 का अधिक एवं गलत भुगतान :–

वाउचर संख्या : 3, दिनांक 11.6.2014 के अन्तर्गत सभा निधि से पंचायत प्रतिनिधियों को अवधि 1/2014 से 3/2014 हेतु मानदेय के रूप में ₹19350 का भुगतान किया गया है। उक्त व्यय वाउचर की जांच करने पर पाया गया कि श्री तेजा राम पंचायत सदस्य को ₹175 प्रतिदिन की दर से छह दिन हेतु ₹1050 का भुगतान किया गया है, लेकिन उपस्थिति रजिस्टर में केवल 5

उपस्थितियां ही दर्ज थी। फलस्वरूप उक्त पंचायत सदस्य को एक दिन का ₹175 अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है। अतः उक्त अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली सुनिश्चित की जाए व कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13. रोकड़ वही नियमानुसार तैयार न करना :–

(क) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संपरीक्षा संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता 1 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जाएंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा; यह खाता पंचायत निधि खाता 'क' के रूप में जाना जाएगा। इसी तरह नियम–3 में संहिता संख्या : 51 से 99 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान, विशेष प्रयोजनों के लिए आवंटित निधियां और अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता 'ख' जाना जाएगा, परन्तु जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय से स्त्रोत की व अनुदानों के लिए एक ही रोकड़ वही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है, जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ वही का रख–रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता 'क' व 'ख' के अनुरूप रोकड़ वही का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) ग्राम पंचायत मोमन्यार की रोकड़ वहियों की जांच करने पर पाया गया कि रोकड़ वहियों का रख–रखाव नियमानुसार नहीं किया गया है। अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक रोकड़ वहियों में न तो प्रतिदिन व प्रत्येक माह का आरम्भिक शेष उठाया गया है व न ही प्रतिदिन व प्रत्येक माह का अन्तिम शेष निकाला गया है। शीर्षवार खाता वही भी तैयार नहीं की गई है, जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। उक्त अनियमितता के कारण वित्तीय स्थिति में दिनांक 1.4.2013 से 31.3.2016 तक दर्शाए गए आरम्भिक एवं अन्तिम शेषों की सत्यापना वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी। अतः रोकड़ वही में प्रत्येक दिनांक का आरमिभक एवं अन्तिम शेष न दर्शाने व शीर्षवार खाता वही तैयार न करने के कारण स्पष्ट किया जाए व तुरन्त प्रभाव से रोकड़ वहियों का रख–रखाव निर्धारित नियमों के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14. कालातीत चैक को रोकड़ वही के आय पक्ष में दर्ज न करना :–

वाउचर संख्या : 2, दिनांक 10.6.2014 के अन्तर्गत सभा निधि से इन्डक्शन चुल्हा क्रय करने पर मैसर्ज एकता इन्टरप्राईजिज को निम्नानुसार ₹2350 का भुगतान किया गया है।

सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य (₹)
इन्डक्शन चुल्हा एच0पी0–4929	1	2280	2280
स्थानीय यातायात	–	–	70
		योग	₹2350

उपरोक्त उल्लेखित क्रय किए गए सामान की एवज में उक्त फर्म को चैक संख्या : 704974 ₹2350 का चैक जारी किया गया है, लेकिन उक्त फर्म ने उक्त चैक को भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। फलस्वरूप उक्त चैक कालातीत हो गया है। अतः उक्त चैक के रूप में भुगतान दर्शाई गई राशि को पुनः रोकड़ वही के आय पक्ष में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त रोकड़ वही में उपरोक्त चैक बैंक से निकासी न होने की स्थिति में ₹2350 का अन्तर दिनांक 31.3.2016 दर्शाया जाना अपेक्षित था, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई वित्तीय स्थिति में बैंक व रोकड़ वही का मिलान दर्शाया है, जोकि अनियमित है। अतः पैरा 4.1 में दर्षित मासिक समाधान विवरणी तैयार कर वास्तविक स्थिति से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15. बचत खातों में दर्ज प्रविष्टियों का रोकड़ वही में लेखांकन न करना :–

(क) ग्राम पंचायत मोमन्यार में विभिन्न बचत खातों में दिनांक 31.3.2016 को निम्न विवरणानुसार ₹109878 जमा शेष थी।

क्र0 सं0	खाता सं0	बैंक का नाम	राशि (₹)
1.	20034083456	के0सी0सी0बी0 बंगाणा	65091
2.	20034071097	–यथोपरि–	44787
		योग	₹109878

उक्त बचत खातों की जांच करने पर पाया गया कि उक्त खातों में दर्ज प्रविष्टियों का लेखांकन रोकड़ वही में नहीं किया गया है। यद्यपि दिनांक 31.3.2016 को बचत बैंक खातों की सूची में उक्त खातों को शामिल कर लिया गया है। चर्चा के दौरान बताया गया कि उक्त बचत खाते खण्ड विकास अधिकारी बंगाणा के नाम बंधक (Pledge) है। अतः उक्त बचत खातों में दर्ज प्रविष्टियों को लेखांकन रोकड़ वही में न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अविलम्ब उक्त बचत खातों का नियमानुसार रोकड़ वहियों में लेखांकन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) सामान्य निधि की रोकड़ वही की जांच करने पर पाया गया कि पेज संख्या : 77, दिनांक 11.7.2015 को रसीद संख्या : 905416 के अन्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी बंगाणा से एस0डी0पी0 अनुदान के रूप में प्राप्त ₹160000 रोकड़ वही के आय पक्ष में दर्ज की गई है, लेकिन उक्त दर्ज की गई राशि को अन्तिम शेष में नहीं उठाया गया है व यह नोट लिखा गया है कि उक्त राशि 2013–14 में खाता संख्या : 56206 में जमा हो चुकी है। रोकड़ वही के आय पक्ष में दर्ज की गई आय को आगामी शेषों में न उठाना व वर्ष 2013–14 में प्राप्त अनुदान का लेखांकन वर्ष 2015–16 में करना लेखांकन नियमों के प्रतिकूल है। उक्त अवधि का बचत खाता भी अंकेक्षण में सत्यापना

हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप उक्त अनुदान के रूप में प्राप्त दर्शाई गई राशि की सत्यापना वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी। अतः लेखांकन नियमों का पालन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित बचत खाता आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि अनुदान के रू॰ में प्राप्त दर्शाई गई राशि की सत्यतता की पुष्टि सम्भव हो सके।

16. माप पुस्तिका में सामग्री उपयोग विवरणी तैयार न करना :–

अभिलेख जांच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत में प्रत्येक माह विकास कार्य हेतु लाखों रूपये की सामग्री जैसे कि रेत, बजरा, बजरी, पत्थर, सीमेंट, ईटें इत्यादि खरीदा गया, लेकिन माप पुस्ताकाओं में सामग्री उपयोग विवरणी तैयार नहीं की गई, जिसके फलस्वरूप इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि जिस कार्य हेतु प्राकलन के आधार पर जितनी मात्रा में सामग्री खरीदी गई थी, क्या वास्तव में उतनी ही मात्रा में सामग्री का उपयोग हुआ था। अतः भविष्य में माप पुस्तिकाओं में सामग्री उपयोग विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए।

17. वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुरूप लेखों का रख–रखाव ग्राम पंचायत मोमन्यार द्वारा नहीं किया गया, जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है, जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। ग्राम पंचायत मोमन्यार के व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थी, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18. टी0डी0एस0 की कटौती न करना :–

आयकर की धारा 194(सी0) में विहित प्रावधानों के अनुसार किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी भी व्यक्ति संविदाकार अथवा फर्म को किए गए ₹3000 से अधिक के किसी भी एकल भुगतान अथवा ₹75000 से अधिक सकल भुगतान पर 2% की दर से व एकल व्यक्ति की अवस्था में 1% की दर से टी0डी0एस0 की कटौती की जानी अनिवार्य है व धारा 194(सी) किसी भी कार्य हेतु किए गए सभी प्रकार के अनुबन्धों चाहे वह लिखित हो अथवा मौखिक हो पर लागू होती है, जैसे कि विज्ञापन, कैटरिंग, ट्रांसपोर्ट, लेवर, सेवा कार्य व सामान इत्यादि का अनुबन्ध है। आयकर की धारा 194(सी) में विहित प्रावधान की अनुपालना न करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 1.4.2013

से 31.3.2016 तक विभिन्न व्यक्तियों, ठेकेदारों व फर्मों से टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की गई है, जिसके कारण सरकारी कोष में कई जारों रूपये टी0डी0एस0 के रूप में कम जमा हुई राशि की गणना संस्था स्तर पर करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि उचित स्त्रोत से वसूली करके सरकारी कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए। भविष्य में आयक की धारा 194(सी) के प्रावधानों के अनुसार टी0डी0एस0 की कटौती की जानी सुनिश्चित की जाए।

19. स्टोर (सामान) का क्रय व उपायन के प्रयोजन हेतु उप समिति का गठन न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संपरीक्षा संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 63(3) के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्टोर (सामान) के क्रय व उपायन के प्रयोजन से निम्नलिखित विधि से एक उप समिति गठित करेगी।

(क) ग्राम पंचायत की दशा में प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा नाम निदिृष्ट किए जाने वाले दो वार्ड सदस्य व ग्राम पंचायत का सचिव। अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाय ागया कि ग्राम पंचायत मोमन्यार द्वारा स्टोर(सामान) का क्रय व उपायन के प्रत्येक प्रयोजन हेतु उप समिति का गठन नहीं किया गया है, जोकि पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संपरीक्षा संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 की धारा 67(3) की गम्भीर अवहेलना है। अतः स्टोर(सामान) का क्रय व उपायन उप समिति के गठन के बिना करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक के दौरान उप समिति के गठन के बिना अनियमित रू॰ से क्रय किए गए स्टोर(सामान) को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए, ताकि हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संपरीक्षा संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 की धारा 67 की अनुपालना होने के साथ–साथ स्टोर(सामान) के क्रय व उपायन में पारदर्शिता स्थापित की जा सके। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संपरीक्षा संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के उप नियम 93 के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन करना अनिवार्य है, ताकि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता स्थापित की जा सके। ग्राम पंचायत द्वारा गठित सहभागी समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे।

(i) सम्बन्ध ग्राम पंचायत का प्रधान/उप प्रधान

(ii) सम्बन्ध वार्ड का ग्राम पंचायत सदस्य

(iii) महिला मण्डल से एक सदस्य

(iv) युवक मण्डल से एक सदस्य

(v) सम्बन्ध क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थान से एक शिक्षक

अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के दौरान करवाए गए निर्माण कार्यों की जांच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत मोमन्यार द्वारा किसी भी निर्माण कार्य हेतु सहभागी समिति का गठन नहीं किया गया है व सभी कार्य सहभागी समिति के बिना ही स्वयं करवाए गए हैं, जोकि पंचायत राज अधिनियम 2002 के अध्याय–11 के उप नियम–93 व पारदर्शिता नियमों की अवहेलना है। अतः प्रत्येक निर्माण कार्य हेतु सहभागी समिति का गठन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सहभागी समिति के गठन के बिना अनियमित रूप से करवाए गए सभी कार्यों को सक्षम अधिकारी की कार्योंत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व भविष्य में प्रत्येक निर्माण कार्य सहभागी समिति अथवा उप नियम–93(b) के अनुसार पंजीकृत संस्था जैसे कि महिला मण्डल, युवक मण्डल व वाटर शैड विकास कमेटी इत्यादि के माध्यम से करवाए जाने सुनिश्चित किए जाएं। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

20. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था, लेकिन जांच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म सं0	संदर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	1	12
2.	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	–	103
4.	मासिक समाधान विवरणी	–	15(1)
5.	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
6.	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8.	डाक रजिस्टर	24	61(2)
9.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
10.	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

21. प्रत्यक्ष सत्यापन :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

22. लघु आपत्ति विवरणिका :– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

23. निष्कर्ष :– लेखों के रख–रखाव में सुधार की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त रोकड़ वहियों का रख–रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती नियम 2002 के अध्याय–2 नियम 4 के अनुरूप रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन (एल0ए0)एच0(पंच)15(v)8/2016, खण्ड–1–5116–5119. दिनांकः 23.09.2016, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत मोमन्यार, विकास खण्ड बंगाणा, तहसील ऊना, जिला ऊना हि0 प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–09 को पैरा संख्या 1(ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना हि0 प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बंगाणा, तहसील ऊना, जिला ऊना हि0 प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.